

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 26.03.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अंतर-विभागीय समिति (आई.डी.सी.) के पुनर्गठन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के दिनांक 28.01.2025 के आदेश संख्या एन-28011/02/2021-बीसी.III का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है, जिसके अनुसार आई.डी.सी. की संरचना में संशोधन किया गया है। दिनांक 28.01.2025 के संशोधित आदेश के अनुसार, सहभागी मंत्रालयों से आई.डी.सी. के सदस्य निदेशक/उप सचिव और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी होंगे। इसके अलावा, आई.डी.सी. बैठक की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विशेष सचिव/अपर सचिव द्वारा की जाएगी।

2. तदनुसार, पुनर्गठित आईडीसी में अब श्री रविन्द्र कुमार जेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, अपर सचिव के समकक्ष, सूचना और प्रसारण मंत्रालय आईडीसी के अध्यक्ष होंगे और निम्नलिखित सदस्य होंगे:

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	मंत्रालय/विभाग/संगठन
1.	श्री भास्कर, निदेशक	महिला और बाल विकास मंत्रालय
2.	श्री बृजेश कुमार शर्मा, उप सचिव	गृह मंत्रालय
3.	श्री राजेश परिहार, निदेशक (एक्स.पी.डी.)	विदेश मंत्रालय
4.	श्री सूरज आर., निदेशक (पी.आर.)	रक्षा मंत्रालय
5.	श्री मृणाल कुमार दास, निदेशक	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
6.	सुश्री लीना जैसानी, सहायक महासचिव श्री पवन कौल, एम. एंड ई.	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
7.	श्री समीर कुमार, निदेशक, (सी.आई.आई. मीडिया और मनोरंजन डेस्क)	कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.)
8.	श्री राजीव देशपांडे, सलाहकार संपादक, (ओपन मीडिया ग्रुप)	प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.)
9.	श्री वेड प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष	बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.)

सदस्य संयोजक

संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

3. आई.डी.सी. इसे प्राप्त शिकायतों की जांच करेगी और प्रसारणकर्ता द्वारा अनुपालन के लिए केवल टेलीविजन अधिनियम, 1995 की धारा 20 की उपधारा (3) के तहत उचित आदेश और निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करेगी।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुभव
26.03.25

(अनुभव सिंह)

ओ.एस.डी. (बी.सी.)

टेलीफोन: 23386394

सेवा में,

1. श्री रबिन्द्र कुमार जेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
2. श्री भास्कर, निदेशक, महिला और बाल विकास मंत्रालय
3. श्री बृजेश कुमार शर्मा, उप सचिव (आई.एस.-आई. एवं बी.पी.आर. एंड डी.), आई.एस.-आई. प्रभाग, गृह मंत्रालय
4. श्री राजेश परिहार, निदेशक (एक्स.पी.डी.), विदेश मंत्रालय
5. श्री सूरज आर., निदेशक (पी.आर.), डी.पी.आर., रक्षा मंत्रालय
6. श्री मृणाल कुमार दास, निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
7. सुश्री लीना जैसानी, सहायक महासचिव/श्री पवन कौल, एम. एंड ई., फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
8. श्री समीर कुमार, निदेशक, सी.आई.आई. मीडिया और मनोरंजन डेस्क, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.)
9. श्री राजीव देशपांडे, सलाहकार संपादक, ओपन मीडिया ग्रुप, प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.)
10. श्री वेद प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
2. सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय
3. सचिव, विदेश मंत्रालय
4. सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
5. सचिव, गृह मंत्रालय
6. सचिव, रक्षा मंत्रालय
7. संयुक्त सचिव (आई. एंड पी.) के प्रधान निजी सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय